


न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 100/2017 अनवान अशोक बनाम कैलाशमहता वॉर्डर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.5.24	<p>पीठासीन अधिकारी आज ब्रामण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईया सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 12-6-24 को पेश हो। आज्ञा से</p> <p align="center">                       जज                      डिप्टी जज नल कमिश्नर                      जोधपुर                 </p>	
12.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रकार के अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपील के संलग्न प्रस्तुत अपील (प्रतिवा) JDA जोधपुर के द्वारा 22.10.2014 के पत्र में पट्टा विलेज नं. 2062 दिनांक (14.8.2013) जारी किया गया है। के विरुद्ध यह अपील द्वारा 90 A (9) RLR के तहत पेश की गई है।</p> <p>इस अपील का अधिवक्ता अधिवक्ता एवं आर 90-A (9) 22.10.2014 अपील का अधिवक्ता किया गया।</p> <p>उल्लेखित पट्टा विलेज के विरुद्ध आर 90-A (9) के तहत अपील के तहत सुनवाई की गई है। आर 90 A के तहत स्वतंत्र द्वारा स्वतंत्र पेशी मक्ति का समर्थन/परिचय करी हुए कति मक्ति का अधिकार प्रमाणित रूपान्तरण करने के लिये समस्त प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पेश</p>	



न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 100/2017 अनवान 2017/10/17 बनाम सिवाजी भंडारी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.6.24 10/11/17	<p>आवेक्ष के विरुद्ध ही प्रा. 90 A के तहत पुस्तक अर्जित पर सुनवाई प्रोत्राधिकार सम्पत्ति आयुक्त को पुस्तक है। इस पर द. वि. 20 के विरुद्ध 20 अतिरिक्त के तहत पुस्तक अर्जित पर सुनवाई हेतु अतिरिक्त नहीं है। ऐसे में पुस्तक अर्जित पर सुनवाई प्रोत्राधिकार की नहीं होने से अर्जित को सम्भवतः पर अर्जित पेश करने हेतु प्रार्थना ली गई जाती है। प्रार्थना व्यक्ति विरुद्धा वरु से काग हो। 4/1/17 का 2017 लीटर नं. 10/11/17</p> <p align="center">292</p> <p align="center">संभागीय आयुक्त जोधपुर</p>	

